संख्या-2/2021/116/18-2-2021-176(ल0उ0)/2012

प्रेषक

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 19 फरवरी, 2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 में उद्यमिता विकास संस्थान को इन्सटीट्यूट आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित करने हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या-डी-1500/2020-21, दिनांक 28-1-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्यमिता विकास संस्थान को इन्सटीट्यूट आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित करने हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 2777.33 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवशेष रू0 6.78 लाख (रू छः लाख अठहत्तर हजार मात्र), फर्नीचर एवं फर्नीशिंग मद में व्यय हेतु रू0 231.68 लाख (रूपये दो करोड़ इकतीस लाख अड़सठ हजार मात्र) व साउण्ड सिस्टम मद में रू0 142.30 लाख (रूपये एक करोड़ बयालीस लाख तीस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 380.76 लाख (रूपये तीन करोड़ अस्सी लाख छियत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने व व्यय करने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) उपर्युक्त निर्माण कार्य को कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित लागत में ही पूर्णकराया जायेगा यदि लागत में वृद्वि होती है तो उसे निर्माण एजेन्सी द्वारा अपने श्रोतों से वहन किया जायेगा। प्रस्तावित निर्माण कार्य के ब्योरेवार नक्शे और अनुमान तैयार करके विस्तृत आगणन पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। निर्माण कार्य समयबद्वता से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से रू0 6.78 लाख की धनराशि का आहरण कर निदेशक, उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी एवं संस्थान द्वारा उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को प्रश्नगत प्रायोजना के पूर्ण होने व कार्य एवं गुण्ण्त्ता से संतुष्ट हाने के उपरान्त उपलब्ध करायी जायेगी। शेष धनराशि रू0 373.98 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जांय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित मानक मदों पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में अन्य मदों में उपयोग नहीं किया जायेगा।

(5) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0, कानपुर की होगी तथा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0, कानपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायेगी।

(6) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 या डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0, कानपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

2- उपरोक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गए मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा एवं अनावश्यक व्यय नहीं किया जायेगा। उपरोक्तानुसार होने वाले व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 पर नियमित रूप से शासन के सम्बन्धित अनुभागों को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपरोक्तानुसार स्वीकृत की गयी धनराशि के व्यय हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्यालय भवन के निर्माण के लिए विश्लेषित लागत तथा निर्धारित शर्तो का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपरोक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय अनुदान संख्या-3 के लेखाशीर्षक "4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-102-लघु उद्योग-03-उद्यमिता विकास संस्थान को इन्सटीट्यूट आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित करने के लिये अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24-3-2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-2/2021/116(1)/18-2-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- निदेशक, उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं साख्यिकीय निदेशालय, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/2 (गार्ड फाइल)।

आज्ञा से

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।